



SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)

Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President

Adv. Nitin Yadav

o/c

Sr. National General Secretary

Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President

Adv. R.P. Khaitan (U.P.)

Dr. R.P. Verma (Punjab)

Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)

Naved Chopra (M.P.)

Rajesh Wankhede (MH)

Vice President (U.P.)

Prof. (Dr.) Shivpal Singh

Sharad Aggarwal

Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)

Monika Chauhan

Dr. Ajay Kumar

Rajeev Chauhan

Dr. Anil Chandel

Mayank Aggarwal

Pradeep Yadav

Executive Board Member

Dr. Gaurav Varshney

Deepak Aggarwal

Prof. (Dr.) Harish Vaish

Dr. Shikha Kaushik

Dr. Vineeta Sharma

Vishal

Vipul Jain

Manoj Bhardwaj

Jitanshu

Manoj Bhati

Surendra Bhargav

Lalit Yadav

Ref. No:-2025/10/SFCF/127

Date:-21-10-2025

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक / वित्त अधिकारी,

चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।

विषय :- प्रयोगात्मक परीक्षाओं के पारश्रमिक और टी०ए० – डी०ए० बिल का भुगतान सीधे परीक्षक को विवि स्तर से कराये जाने अथवा संस्थानों को प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप कृपया अवगत हो की विवि० द्वारा विगत कई वर्ष से स्ववित्तपोषित संस्थानों को प्रयोगात्मक परीक्षा की अग्रिम धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है साथ ही संस्थानों द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराकर विवि० में भुगतान के लिए जमा की जाने वाली पत्रावलियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उनके भुगतान भी वर्षों से लम्बित है। इस प्रकार की स्थिति में स्ववित्तपोषित संस्थानों में आर्थिक समस्या आये दिन सामने आ रही है।

वर्तमान शैक्षिक सत्र में आगामी समय में प्रयोगात्मक परीक्षा प्रारम्भ होगी जिसके लिए आप नामित परीक्षक को प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने के बाद सीधे विवि से उनके पारश्रमिक और टी०ए०- डी०ए० बिल का भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत बिल के अनुसार सीधे उनके खाते में कराने के लिए व्यवस्था कराने का कष्ट करे, क्योंकि संस्थानों को आर्थिक रूप से अक्षम करते हुए परीक्षकों के सीधे बिलों का भुगतान संस्थानों से किया जाना संभव नहीं है।

हम आशा करते हैं इस दिशा में आप अविलम्ब यथोचित निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत करने कष्ट करेंगे अन्यथा की स्थिति में विवि० स्तर से सकारात्मक सहयोग नहीं मिलने की दशा में माननीय न्यायालय में प्रकरण ले जाना फेडरेशन की विवशता होगी।

आदर सहित।

प्रतिलिपि :-

1 - माननीय कुलपति, चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।

(नितिन यादव)

अध्यक्ष

प्रो० (डॉ०) निधि शुक्ला

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

प्रो० (डॉ०) आनन्द सिंह

वरिष्ठ महासचिव